



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012020-215710
CG-DL-E-27012020-215710

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]
No. 326]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2020/माघ 4, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2020/MAGHA 4, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2020

का.आ. 358(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3337(अ) तारीख 17 सितम्बर 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में NH31D के कि.मी.17.130 से कि.मी. 83.785 (घोषपुर-सलसलाबाड़ी खंड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 07 नवंबर, 2019 को उत्तरबंग संवाद और द स्टेट्समैन दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में NH31D के कि.मी. 17.130 से कि.मी. 83.785 (घोषपुकुर-सलसलाबाड़ी खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल					
जिले का नाम: जलपाईगुड़ी					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: धूपगुड़ी				
	गांव का नाम: मैनाटाली				
1	3497	निजी	बास्तु	0.0121408	सरवेश्वर राय सरकार ()
2	3538	निजी	बास्तु	0.0101174	प्रनिता राय एवं अन्य ()
	तालुक का नाम: जलपाईगुड़ी सदर				
	गांव का नाम: पाटकाटा				
1	1033	निजी	बास्तु	0.0202347	रंजीत सरकार एवं अन्य ()
2	1725	निजी	बास्तु	0.0060704	प्रदीप दास एवं अन्य ()
3	1758	निजी	बास्तु	0.0121408	प्रदीप दास एवं अन्य ()
4	1780	निजी	बास्तु	0.0323756	प्रदीप दास एवं अन्य ()
5	870	निजी	स्कूल	0.0323756	सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ()
	तालुक का नाम: मयनागुरी				
	गांव का नाम: चुराभंडार				
1	1494	निजी	बास्तु	0.0080939	हेम चंद्र राय एवं अन्य ()

2	1509	निजी	बास्तु	0.0647511	दुलाल सरकार एवं अन्य ()
गांव का नाम: हुसलुडांगा					
3	1577	निजी	दहला	0.034399	रतन मंडल एवं अन्य ()
4	2564	निजी	बास्तु	0.1436665	सुसेन्द्र नाथ राय एवं अन्य ()
5	2624	निजी	बास्तु	0.0121408	शैलेन्द्र नाथ राय एवं अन्य ()
तालुक का नाम: राजगंज					
गांव का नाम: सुकानी					
1	227/665	निजी	बास्तु	0.1052206	अनुबाला राय एवं अन्य ()
			कुल	0.4937272	

[फा. सं. NHAI Tech/Ph-III/DPR/LA/WB/2003/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 24th January, 2020

S.O. 358(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3337 (E) dated the 17th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH31D on the stretch of land from Km. 17.130 to Km. 83.785 (Ghoshpukur-Salsalabari Section) in the district of Jalpaiguri in the State of WEST BENGAL;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Uttar Banga Sambad” and “The Statesman” both dated 07/11/2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 17.130 to Km. 83.785 (Ghoshpukur-Salsalabari Section) of National Highway No. 31D in the district of Jalpaiguri in the State of WEST BENGAL.

State: WEST BENGAL			District: Jalpaiguri		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dhupguri					
Village: Mainatali					
1	3497	Private	Bastu	0.0121408	Sarbeswar Roy Sarkar
2	3538	Private	Bastu	0.0101174	Pranita Roy and other
Taluk: Jalpaiguri Sadar					
Village: Patkata					
1	1033	Private	Bastu	0.0202347	Ranjit Sarkar and others
2	1725	Private	Bastu	0.0060704	Pradip Das and others
3	1758	Private	Bastu	0.0121408	Pradip Das & others
4	1780	Private	Bastu	0.0323756	Pradip Das and others
5	870	Private	School	0.0323756	Secretary District School Board
Taluk: Mainaguri					
Village: Churabhandar					
1	1494	Private	Bastu	0.0080939	Hem Chandra Roy and others
2	1509	Private	Bastu	0.0647511	Dulal Sarkar and others
Village: Husludanga					
3	1577	Private	Dahala	0.034399	Ratan Mandal and others
4	2564	Private	Bastu	0.1436665	Susendra Nath Roy and others
5	2624	Private	Bastu	0.0121408	Sailendra Nath Roy and others
Taluk: Rajganj					
Village: Sukani					
1	227/665	Private	Bastu	0.1052206	Anubala Roy and others
			TOTAL	0.4937272	

[F. No. NHAI Tech/Ph-III/DPR/LA/WB/2003/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.